असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for Extraordinary General Meeting

मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014, वडोदरा
Tuesday, 23rd December, 2014, Vadodara

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

निवेशक सेवाएं विभागः
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, तृतीय तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPTT:
Baroda Corporate Centre, 3rd Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विषय
CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस	
NOTICE	1
व्याख्यात्मक विवरण	
EXPLANATORY STATEMENT	6
सम्बद्ध अधिनियमों एवं विनियमों का सारांश आदि	
EXTRACT OF RELEVANT ACTS AND REGULATIONS ETC	13
नामांकन फार्म	27
NOMINATION FORM	28
घोषणा - पत्र	29
DECLARATION	30
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा व वचन पत्र	31
PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING	32
प्रॉक्सी फार्म	37
PROXY FORM	38

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

कार्यक्रमों की प्रमुख तारीखें
IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की विनिर्दिष्ट / कट-ऑफ तारीख Specified / Cut-off date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	शुक्रवार, 07 नवम्बर, 2014 Friday, 07 November, 2014
नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख Last date for submission of nomination forms on or before	सोमवार, 08 दिसम्बर, 2014 (शाम 5.00 बजे तक) Monday, 08 December, 2014 (Upto 5.00 p.m.)
नामांकन फार्मों की जांच Scrutiny of Nominations	मंगलवार, 09 दिसम्बर, 2014 Tuesday, 09 December, 2014
ई-वोटिंग E-Voting	बुधवार, 17 दिसम्बर, 2014 (सुबह 10.00 बजे) से शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014 (शाम 5.00 बजे तक) Wednesday, 17 December, 2014 (From 10.00 a.m.) to Friday, 19 December, 2014 (Upto 5.00 p.m.)
प्राक्सी फॉर्म और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित संकल्प के प्राप्त होने की अंतिम तारीख Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorized Representatives	गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2014 (शाम 5.00 बजे तक) Thursday, 18 December, 2014 (Upto 5.00 p.m.)
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख एवं समय Date and time of Extraordinary General Meeting	मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 (सुबह 10.00 बजे) Tuesday, 23 December, 2014 (At 10.00 a.m.)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा 390 006
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

नोटिस

एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्य का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014** को सुबह 10:00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. - 1 एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में संपन्न होगीः

बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

बैंककारी कंपनी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे ''विनियमन अधिनियम'' कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख ''योजना'' के रूप में किया गया है), अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसका इसके बाद इसका उल्लेख ''विनियमन'' के रूप में किया गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना (इसका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के रूप में किया गया है) सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक नवम्बर 1, 2007 और सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक मई 23, 2011 तथा भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के पत्र के अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, उनमें से तीन निदेशकों का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पठित विनियमन अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, चुने गये तीन निदेशकों को अपना कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 24 दिसंबर, 2014 से बैंक के निदेशकों के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद बने रहेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

(पि. श्रीनिवास)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 नवंबर, 2014

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of BANK OF BARODA will be held on **Tuesday, the 23rd December, 2014** at 10.00 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 to transact the following business:

Election of Three Shareholder Directors of the Bank

To elect THREE Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos.DBOD No.BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No. DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and GOI Letter dated 03rd September 2013 by passing the following resolution:-

"**RESOLVED THAT** three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 24th December 2014 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors
For **BANK OF BARODA**

(P. Srinivas)
Executive Director

Place: Mumbai
Date: 3rd November 2014

नोट

1) **व्याख्यात्मक विवरण :**

बैठक की कार्यवाही के संबंध में आधारभूत तथ्यों के बारे में जानकारी देने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2) **मताधिकार :**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वंयधारित शेयरों के संबध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के **दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.**

उक्त के अध्यधीन प्रत्येक शेयरधारक जो **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख** अर्थात **शुक्रवार दिनांक 7 नवंबर, 2014** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, वह तीन शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में भाग लेने (नामित करने, चुनाव लड़ने और मत देने) का पात्र होगा तथा **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख** पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट उसके पास होगा और वह कार्यसूची की मद पर वोट देने का पात्र होगा.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होगा.

3) **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख**

नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार विनियमन के विनियम 12 के अनुसरण में उन शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख शुक्रवार दिनांक 7 नवंबर, 2014** है, जो केंद्रीय सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव में खड़े होने और मतदान की प्रकिया में भाग लेने के पात्र होंगे.

4) **ई-वोटिंग**

स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता अनुबंध के संशोधित खंड 35बी के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लेखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सके. इसके लिए ई-वोटिंग प्लैटफार्म उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. बैंक ने एस.एन. अनंतसुब्रहमणियन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है. ई-वोटिंग वैकल्पिक है. शेयरधारक/लाभार्थी स्वामी का ई-वोटिंग अधिकार, इस प्रयोजन से उनके द्वारा **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ़-तारीख शुक्रवार दिनांक 7 नवंबर,** 2014 को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर मान्य होगा. इस विनिर्दिष्ट तारीख/कट-ऑफ़-तारीख को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

NOTES

a) **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

b) **VOTING RIGHTS:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified / Cut- Off Date** i.e. on **Friday, the 7th November, 2014** will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of three Shareholder Directors of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the **Specified / Cut- Off Date** to vote on the item on the agenda.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are held in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

c) **SPECIFIED / CUT- OFF DATE:**

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, **Friday, the 7th November 2014** is fixed as **Specified / Cut-Off Date for the purpose** of determining the names of shareholders entitled to participate in the Election i.e. to nominate, contest and vote for the election of THREE directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

d) **E-VOTING**

Pursuant to revised Clause 35B of listing agreement with stock exchanges, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed M/s Karvy Computershare Pvt. Limited as e-voting agency to provide the e-voting platform.The Bank has appointed S. N. Ananthasubramanian & Co, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Friday, 7th November 2014 being the Specified /Cut-off Date for the purpose**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Specified / Cut-off Date, may cast their vote electronically.

ई -वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं : -

1. ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.karvy.com
2. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस से संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लेखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
3. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
4. आप 'पासवर्ड बदले' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
5. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
6. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु कहेगा.
7. वोटिंग पृष्ठ पर, विनिर्दिष्ट तारीख/कट-ऑफ़-तारीख पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप स्क्रीन पर जिनके नाम प्रदर्शित हो रहे हैं उन उम्मीदवारी कर रहे उम्मीदवारों में से अधिकतम तीन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कर सकते हैं. यह प्रोग्राम इस तरह बनाया गया है कि आप तीन से अधिक प्रत्याशियों के पक्ष में वोट नहीं डाल सकते हैं.
8. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**
9. उचित विकल्प का चयन करके वोट करने के बाद ''SUBMIT'' पर क्लिक करें. इस पर पुष्टि का एक बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने हेतु ''OK'' पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु ''CANCEL'' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक कार्यसूची पर वोट देने तक कितनी ही बार लॉग-इन कर सकता है.
10. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षारियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net. पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

The instructions for E-Voting are as under:

1. To use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com
2. Enter the login credentials i.e. user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed with the Notice.
3. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
4. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
5. You need to login again with the new credentials.
6. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., **Bank of Baroda.**
7. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Specified /Cut-off Date will appear. You can cast your vote in favour of maximum THREE candidates, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. The programme is designed in such a manner that you are not allowed for casting vote exceeding THREE candidates.
8. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**
9. Cast your vote by selecting appropriate options and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the agenda.
10. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net.

11. एक बार आप वोट दे देते हैं तो उसके बाद आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते.

12. वोटिंग के लिए पोर्टल दि. 17 दिसंबर, 2014 को सुबह 10:00 बजे से 19 दिसंबर, 2014 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा.

13. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं. अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के श्री एस वी राजू (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से 040 44655000 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

14. जो ई-वोटिंग नहीं करना चाहते हैं वे अपना वोट 23 दिसंबर, 2014 को होने वाले मतदान में इस नोटिस की व्याख्यात्मक विवरणी खंड में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, डाल सकते हैं.

15. ई-वोटिंग तथा बैठक में हुए मतदान के समेकित परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किए जाएंगे.

16. कृपया अद्यतन ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट के होमपेज www.bankofbaroda.com में निवेशक संबंधी लिंक देखें.

ई) प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा /होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है.

तथापि, इस तरह से प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकारी नहीं होगा. ऐसे किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अधिकारी या कर्मचारी हो.

विनियमन 70(iv) के अनुसार, प्रॉक्सी का लिखत देने वाला, जिस बैठक से यह लिखत संबद्ध है उस बैठक में स्वयं जा कर वोट देने का हकदार नहीं होगा.

प्रॉक्सी-फार्म प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात **गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2014** को बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय स्थित सहायक महाप्रबंधक (ए एम एल), केवायसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, बड़ौदा-390 005 को प्राप्त हो जाना चाहिए.

11. Once you have cast your vote, you will not be allowed to modify it subsequently.

12. The Portal will remain open for voting from 10.00 a.m. on 17th December, 2014 to 5.00 p.m. on 19th December, 2014 (both days inclusive).

13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Mr. S. V. Raju, (Unit : Bank of Baroda) of M/s Karvy Computershare Pvt Ltd at 040 44655000 or at 1800 345 4001 (toll free).

14. Those who do not opt for e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the Meeting on 23rd December, 2014 as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.

15. The consolidated results of e-voting and Poll conducted at the meeting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

16. Please visit Bank's website www.bankofbaroda.com – Investor Relations link on home page for updated e-voting instructions.

e) APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Bank of Baroda.

As per Regulation 70 (iv), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank, by Office of the Assistant General Manager (AML), KYC & AML deptt., Bank of Baroda, 8th Floor, Suraj Plaza -1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on **Thursday, the 18th December, 2014**.

एफ) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी निकाय कार्पोरेट के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी पारित किए गए संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य-प्रति के रूप में हस्ताक्षरित किया हो, बैठक की तारीख से **4 दिन** पूर्व अर्थात **गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2014** को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय स्थित सहायक महाप्रबंधक (ए एम एल), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 के पास जमा न कर दिया गया हो.

जी) उपस्थिति – पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक पास :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक पास संलग्न है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि स्लीप में दिये विवरण को सत्यापित कर, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", के रूप में है, जैसा मामला हो. मतपत्रक पास/एंट्री पास को चुनाव के समय मतपत्रक प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

एच) अंतरण :

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए, शेयर प्रमाणपत्र तथा अंतरण विलेख को शेयर अंतरण एजेंट को नोटिस में अन्यत्र दिए गए उसके पते पर अग्रेषित किया जाना चाहिए.

आई) पते में परिवर्तन:

मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो, बैंक के शेयर अंतरण एजंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद - 500 081
फोन नं. (040) 23420815 से 820, फैक्स नं. (040) 23420814
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में या ईसीएस अध्यादेश में कोई परिवर्तन हो, तो ब्यौरा केवल संबद्ध सहभागी डिपोज़िटरी को भेजें.

f) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, with office of the Assistant General Manager (AML) / KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on **Thursday, the 18th December, 2014**.

g) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to to verify the details given in the slip and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass/ Entry Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

h) TRANSFERS:

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given elsewhere in this Notice for the transfer of shares of the Bank.

i) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare Private Limited
(Unit: Bank of Baroda)
Plot No.17 to 24,Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Phone: (040) 23420815 to 820, Fax: (040) 23420814
E Mail: einward.ris@karvy.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों का चयन

अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसार बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा सभी शेयरधारकों में से तीन निदेशकों यथा श्री मौलिन अरविंद वैष्णव, श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी और श्री राजीब शेखर साहू को चुना था जिन्होंने 24 दिसंबर 2011 को पद भार संभाला और इनका कार्यकाल 23 दिसंबर 2014 को समाप्त होगा.

तदनुसार 24 दिसबंर 2014 को होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के चुनाव के लिए आपका बैंक मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014 को असाधारण सामान्य बैठक आयोजित कर रहा है.

अतः शेयरधारक (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियमन, अधिसूचना केंद्र सरकार के/निदेशों के अधोलिखित प्रासंगिक उद्धरणों/अंशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं. अधिकतम 3 निदेशकों का चुनाव या तो बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उन्हें 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने के बाद अथवा तत्पश्चात् असाधारण सामान्य बैठक में चुनाव के बाद होगा. चुने गए निदेशक 24 दिसंबर, 2014 से अपना पदभार संभालेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए पद पर बने रहेंगे.

विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : -

अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	➢ महत्वपूर्ण लाभ ➢ उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध ➢ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	➢ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➢ कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान ➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के मानदंड पर या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता. ➢ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार ➢ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य

EXPLANATORY STATEMENT

Election of Three Shareholder Directors of the Bank

In terms of section (9) (3) (i) of the Act, your Bank had elected three Directors viz. Shri Maulin Arvind Vaishnav, Shri Surendra Singh Bhandari and Shri Rajib Sekhar Sahoo, from amongst the shareholders other than Central Government, who assumed charge on 24th December 2011 and their term comes to an end on 23rd December 2014.

With a view to fill in the vacancies that will arise on 24th December 2014, your Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at an Extraordinary General Meeting convened on Tuesday, 23rd December, 2014.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Up to three directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 24th December, 2014 and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	➢ Substantial Interest ➢ Prohibition of Common Directors ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल ➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं के बारे में ➢ निदेशक कार्यालय को खाली करना ➢ निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना ➢ निदेशकों की रुचि वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➢ सामान्य बैठकों में वोट देना ➢ सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की जांच ➢ चुनाव विवाद ➢ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➢ प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्तता मानदंड
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ सं. 16/83/2013- बीओ- I पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013, और दिनांक 01.06.2011 का अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के चयन संबंधी दिशानिर्देश		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर शासकीय कार्यालयीन निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश
भा. रि. बैं. मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2014. मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. डीआईआर. बीसी. 16/13.03.00/2014-15 दिनांक 1 जुलाई, 2014		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति
सूचीबद्ध करने हेतु करार का संशोधित खंड 49		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन के साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा डीबीओडी. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश के सारांश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ऐसे

The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director ➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No. 95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011.		Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 16/13.03.00/ 2014-15 dated July 1, 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors
Revised Clause 49 of the Listing Agreement		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website.www.bankofbaroda.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request

सारांश इच्छुक प्रत्याशियों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात सोमवार 8 दिसंबर, 2014 को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास अनुरोध प्राप्त होने पर ई- मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं.

चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम विनिर्दिष्ट / निर्धारित तारीख अर्थात शुक्रवार, 7 नवंबर, 2014 को भौतिक धारक की दशा में शेयरधारक रजिस्टर में अंकित है तथा अभौतिक धारक की दशा में एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत हितधारकों की सूची में अंकित हैं, वे सभी (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने/वोट करने हेतु पात्र होंगे.

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को :

1. निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
   - i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
   - ii. बैंकिंग
   - iii. सहकारिता
   - iv. अर्थशास्त्र
   - v. वित्त
   - vi. विधि
   - vii. लघु उद्योग
   - viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.

ख. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

ग. किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

   (क) अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह प्रत्याशी जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनने के लिए नामांकन दर्ज करता है. उसे "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला होना चाहिए.

   (ख) इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए.

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा.

   (अ) यदि वह, किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो अथवा

   (आ) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Monday, 8th December, 2014.

PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders for those holding in physical mode / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL for those holding in D-mat mode, as on the **Specified/Cut-Off Date** i.e., on Friday, 7th November, 2014, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
   - i. agriculture and rural economy
   - ii. banking
   - iii. co-operation
   - iv. economics
   - v. finance
   - vi. law
   - vii. small scale industry
   - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

B. represents the interest of depositors; or

C. represents the interest of farmers, workers and artisans

   (a) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

   (b) Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

   a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

   b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(इ) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्र हीनता भी शामिल है अथवा

(ई) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशकों का पद धारण करता है/करती है. (इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं.

(ख) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी.सं. 46/29.39.001/2007-08 डीबीओडी सं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा ''उपयुक्त एवं समुचित'' व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

(ग) यदि वह इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है.

शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा(शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 64 में वर्णित यथा संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात् सीडी या इस तरह के अन्य माध्यम में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, मंगलवार, 2 दिसंबर, 2014 से उपलब्ध होगी और वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक के रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के द्वारा शेयरधारकों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा - 1 सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा.

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (एएमएल), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा - 1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 के पास सभी कार्य दिवसों में सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि प्रतियोगी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग जिसकी प्रतियां निकली जानी है के लिए 5 रुपये की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा.

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

विनियमन के विनियम 65 की शर्तों और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ यथापठित डीबीओडी सं. बीसी नं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013 संदर्भ सं. 16/83/2013-बीओ-आई के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के चयन के संबंध में दिनांक 01.06.2011 को जारी दिशा-निर्देशों एवं विभिन्न दिशानिर्देशों, निदेशों एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन वैध होगा :

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

(B) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

(C) If he is not found to be complying with the Guidelines issued by the Central Government in this regard.

LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at Head Office of the Bank at Vadodara from Tuesday, the 2nd December, 2014 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favor of "Bank of Baroda" payable at Vadodara. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "General Manager"(Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5 p.m and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011 and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

क) वह **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ़-तारीख** शुक्रवार, 07 नंवबर, 2014 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तिथि तक और उसके बाद यदि चुन लिया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए.

ख) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, 08.12.2014 तक अधिनियम/योजना/विनियम/भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया हैं.

ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा उनके अटार्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है तो उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.

घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियमन अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नही है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) में विधिवत हस्ताक्षर कर यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा/करेगी कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा/देगी कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा.

ड़) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित किए गए और नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए अनुसार है. (संपूर्ण नोटिस तथा यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है.)

च) वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1998 (जैसा कि अब 'विनियमन' के रूप में संदर्भित होगा) और भा.रि.बैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 व गैर कार्यालयीन निदेशकों पर लागू भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2011 को जारी दिशानिर्देश के तहत या निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के तहत अयोग्य नही है.

a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the 7th November 2014 being the **Specified / Cut- Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) As on Monday, 8th December, 2014, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.

c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

d) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website www.bankofbaroda.com along with full Notice).

f) He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Non Official Directors, or such other directives as may be issued from time to time from being elected as a director.

नामांकन फार्मों की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा- 390005 को असाधारण सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात सोमवार, 8 दिसंबर, 2014 को सायं 5:00 बजे तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए.

क) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र

ख) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन

ग) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो.

घ) उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

क) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस मंगलवार, 09 दिसंबर, 2014 को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

ख) नामांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 नवंबर, 2007 को जारी 'उपयुक्त व समुचित' दिशानिर्देशों के तहत तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में अशासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 01.06.2011 को या समय-समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यालयीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अध्यधीन होगा.

ग) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली तीन रिक्तियों हेतु **तीन या उससे कम** वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझे जाएंगे और उनके नाम तथा पते निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होंगे. ऐसी स्थिति में असाधारण सामान्य बैठक निरस्त मानी जायेगी तथा ई-वोटिंग भी नही होगी. नव निर्वाचित निदेशक बुधवार, 24 दिसम्बर 2014 को ही पदभार ग्रहण करेंगे.

घ) यदि वैध नामांकन तीन से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में सर्वाधिक ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किये जाएंगे.

मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014 को चुनावी प्रक्रिया

ई-वोटिंग के अलावा, जिन्होंने ई-वोटिंग विकल्प का उपयोग नही किया हैं, उनके लिए मतदान के जरिए वोटिंग होगा. इसके बारे में घोषणा होने के तुरंत बाद मतदान पत्र/पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अपरान्ह 1:00 बजे तक जारी रहेगी.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before closing hours of the bank at 5.00 p.m., on Monday, the 8th December, 2014.

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on Tuesday, the 9th December, 2014 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Guidelines for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India on 01.06.2011 or from time to time.

c) If there are only **three or less than three** valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, the Extraordinary General Meeting will stand cancelled and e-voting shall also not take place. The newly elected directors will assume office on Wednesday, 24th December, 2014.

d) If there are more than three valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidates polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

POLL PROCESS ON TUESDAY, 23rd DECEMBER 2014

Apart from e-voting, the voting shall also be done by Poll for those who have not exercised their option of e-voting. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को डाक से भेजे गये/पंजीकरण के समय जारी किए गए बैलेट पेपर पास लौटाने के बाद निर्धारित कांउटर से मतदान पत्र जारी किए जाएंगे. वोटों की संख्या विनिर्दिष्ट तारीख/अंतिम-तिथि अर्थात् शुक्रवार, 7 नवंबर, 2014 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी.

शेयरधारक मतदान पत्र पर अपनी पसंद के तीन प्रत्याशियों के नाम के आगे रबड़ मोहर (X) लगाकर अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं. दोनों मत-पत्र मत पेटियों (बॅलेटबॉक्स) में डाले जाएं.

उसके पश्चात वोटों की गिनती की जाएगी तथा अध्यक्ष द्वारा ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित वोटों, ई-वोटिंग एवं बैठक में हुए मतदान, के आधार पर परिणामों की घोषणा की जाएगी.

चुनाव एवं निर्वाचन की समग्र प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और एक स्वतंत्र परामर्शदाता (संवीक्षक), जिसे बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जायेगा - के द्वारा की जाएगी और केंद्र सरकार के नामित अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में इसका अवलोकन किया जाएगा.

उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह सोमवार दिनांक 15 दिसंबर, 2014 को बैंक के कामकाज की समाप्ति से पहले, अर्थात शाम 5.00 बजे से पूर्व किसी भी समय, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 6ठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को संबोधित पत्र भेज कर या 0265 - 2362914 पर फैक्स भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है.

विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो उसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा.

उद्धरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ संलग्न है.

निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं कारोबार की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

(पि. श्रीनिवास)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 नवंबर, 2014

announcement in this regard is made and continue upto 1.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Ballot Paper pass sent with the Notice/issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified / Cut-Off Date i.e. Friday, 7th November, 2014.

The Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot paper. Ballot Paper may be dropped in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and the Chairman of the meeting will announce the final results based on the aggregate of votes secured through evoting and poll conducted at the Meeting.

The entire process of Poll and Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) to be appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 p.m.on Monday, the 15th December, 2014 by sending a letter addressed to General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 or sending fax at 0265- 2362914.

DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are annexed for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors
For **BANK OF BARODA**

(P. Srinivas)
Executive Director

Place: Mumbai
Date: 3rd November 2014

निदेशकों का चुनाव - संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि का सारांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2-बी) के खंड सी के तहत जारी पूंजी की सीमा के आधार पर की जाएगी.

इस संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना की संबद्ध धाराओं तथा 1970 तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के संबद्ध विनियमन शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे क्रमशः प्रस्तुत किए गए हैं:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध-धारा 16(1)

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी, जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो.

ऋण एवं अग्रिम के संबंध में प्रतिबंध- धारा 20

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्न कार्य नहीं करेगी-

   क) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं करेगी, अथवा

   ख) निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करने या अग्रिम देने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगी:

   i) अपने किसी निदेशक को,

   ii) ऐसी कोई फर्म जिसमें इसके किसी निदेशक का एक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित है, अथवा

   iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा जिसकी होल्डिंग कंपनी की बैंकिंग कंपनी जिसमें वह कोई निदेशक, प्रबंधक कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित है, अथवा

   iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझेदार अथवा गारंटीदाता है.

2) जहां बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई ऋण अथवा अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे स्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गयी हो, यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था, प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है परंतु ऐसे प्रारंभ से पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –

   a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

   b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or

   on behalf of –

   (i) any of its Directors

   (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

   (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

   (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken

के भीतर उस पर देय, अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, ऋण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे. परंतु यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तारीख तक बढ़ा सकता है, जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के बाद की तारीख नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझेगा.

परंतु यह उप-धारा इस अवस्था में लागू नहीं हो सकती हैं, जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त न कर दे.

3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसका कोई भाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी प्रेषण अवैध एवं अप्रभावी माना जाएगा.

4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उसने इस कारण उक्त तारीख को अपना कार्यभार रिक्त किया हुआ समझा जाएगा.

इस धारा का स्पष्टीकरण –

- 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार के कारण सम्भावित देय राशि की वसूली, चुकौती अवधि, चुकौती के ढंग और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य सम्बद्ध खातों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है;
- 'निदेशक' का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मंडल अथवा समिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है.
- यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई संव्यवहार इस धारा के प्रयोजन से ऋण या अग्रिम है या नहीं, तो उस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध

धारा 3 (2ई) : तदनुरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक, केंद्रीय सरकार के अलावा अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के विषय में तदनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा.

to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) : No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9 (3) (i) : जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा 2 (बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी है :

क) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक,

ख) कुल चुकता पूंजी सोलह प्रतिशत से अधिक है परंतु कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो दो निदेशक

ग) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो तीन निदेशक केंद्रीय सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे.

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है.

यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेशकों की संख्या, तदनुरुप नये बैंक में उप-खंड(i), या उप-खंड(ii) या उप-खंड(iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्शाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे.

धारा 9 (3ए) : उक्त खंड (i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक-

क) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होने चाहिए-

   i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
   ii. बैंकिंग
   iii. सहकारिता
   iv. अर्थशास्त्र
   v. वित्त
   vi. विधि
   vii. लघु उद्योग
   viii. विशेष ज्ञान संबंधी अन्य कोई विषय एवं व्यवहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी है.

ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, अथवा

ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों.

धारा 9 (3एए) : उपधारा 3 (ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा इस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में समाविष्ट किसी प्रावधान के विपरीत हुए बिना कोई भी व्यक्ति उप धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि

Composition of the Board of Directors

Section 9(3)(i):Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director

b) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section :9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -

   i. agriculture and rural economy
   ii. Banking
   iii. Co-operation
   iv. Economics
   v. Finance
   vi. Law
   vii. Small scale industry
   viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA):Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status'

वह व्यक्ति ट्रेक रिकार्ड, ईमानदारी और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर `उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत न रखता हो.

धारा 9 (3एबी) : भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3एए) के अधीन जारी अधिसूचना में `उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत संबंधी निर्धारण का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण की पद्धति, ऐसे निर्धारण के अनुपालन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य ऐसे मामले जिन्हें आवश्यक अथवा प्रासंगिक समझा जाए, विनिर्दिष्ट भी कर सकता है.

धारा 9 (3बी) : जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय है कि उपधारा (3) के खंड (i) के तहत तदनुरूपी नए बैंक का निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा (3ए) एवं 3 (एए)की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद, वह आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल, उपधारा (3ए) एवं 3 (एए)की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर तब तक के लिए निदेशक के रूप में चयन करेगा जबतक कि तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा आगामी असाधारण सामान्य बैठक में एक निदेशक को विधिवत् निर्वाचित न कर लिया जाए और इस प्रकार चयनित व्यक्ति तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित समझा जाएगा.

सत्यनिष्ठा और गोपनीयता का दायित्वः

धारा 13(2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, अथवा तदनुरूपी नए बैंक का लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्य का दायित्व संभालने से पहले, तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट फार्म में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल

खंड 9(4) :

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा. परंतु ऐसा निदेशक निरंतर छः वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेगा.

निदेशकों की अपात्रताः

खंड 10 :

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अपात्र होगाः

क) यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या प्रशमन (compunded) किया हो, अथवा

ख) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्र हीनता से जुड़ा हो, अथवा

घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी

based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB) : The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B) : Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Extraordinary General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10 :

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude

d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank

अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/ करती है, सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्ण कालिक निदेशकों इसमे प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शमिल हैं सहित का पद धारण करता है/ करती है.

निदेशकों के पद रिक्त होना

खंड 11ः

1. यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अध्यधीन अथवा निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है. परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा.
2. अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित में त्यागपत्र का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है; और कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केंद्रीय सरकार से त्यागपत्र की सूचना-प्राप्ति प्राप्त होने पर त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा.
3. पूर्वोक्त उप-खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के सी.1 (ई) अथवा सी 1 (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक है उसका एक कर्मकार अथवा कर्मकार से इतर का एक कर्मचारी नहीं रह जाने पर उस पद को खाली माना जायेगा.
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक का कोई पद रिक्त होता है, तो यह पद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुरूप भरा जाएगा.

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खंड 11एः

केंद्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक, जिनकी सकल धारिता उनके द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, तो धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत वे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटा सकते है और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं.

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खंड 11बी ः

1. जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा.

   बशर्ते कि जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है.
2. कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसा भी मामला हो, उपखण्ड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती की कार्य अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा.

of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11 :

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

   Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण

खंड 12(8):

निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है अथवा उसमें उसका हित है, सम्बद्ध परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित की प्रकृति को निदेशक मंडल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मंडल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मंडल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थित नहीं रहेगा.

परंतु इस उपधारा में समाहित कुछ भी, ऐसे निदेशकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगाः

i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयरधारक (निदेशक के अलावा) की धारिता, चुकता पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है.

ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है. (अधिनियम 9 की उप धारा (3) की खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में विनिर्दिष्ट)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998

संयुक्त धारकों के अधिकार का इस्तेमाल

विनियम 10 :

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक के नाम पर हैं तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर बैंक से संबंधित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकलधारक समझा जाएगा.

सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव

विनियम 63

i. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत जिनका नाम रजिस्टर पर है ऐसे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा, बैंक की सामान्य बैठक में उनमें से निदेशक चुना जाएगा.

ii. जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो उससे संबंधित नोटिस, बैठक के आयोजन से संबद्ध नोटिस में सम्मिलित होगा. ऐसे नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा जिन के संबंध में चुनाव होना है उन रिक्त पदों से संबंधित विवरण दर्शाये गए होने चाहिए.

शेयरधारकों की सूचीः-

विनियम 64

i. इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियमन (i) के अंतर्गत निदेशक के

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8) :

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

ii. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

BANK OF BARODA GENERAL (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank of Baroda except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 63

i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

i. For the purpose of election of a Director under sub-

चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा.

ii. सूची में शेयरधारकों के नाम, उनका रजिस्टर्ड पता, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक, उस तारीख सहित जिस दिन वह रजिस्टर्ड किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित वह दिनांक जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके लिए वे हकदार होंगे तथा बैठक की निर्धारित तारीख से 3 सप्ताह पूर्व शेयरधारकों की सूची की प्रति उस मूल्य पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, जो बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है.

<u>चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकनः</u>

विनियम 65 :

i. निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक किः

क) वह बैंक का शेयरधारक न हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो.

ख) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हो.

ग) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों, चाहे उसके एकल नाम पर हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से हो, से संबंधित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तारीख तक या इससे पहले कर दिया गया हो.

घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि गठित उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते किसी शेयरधारक जो एक कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन, उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा.

ड़) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एश्योरेंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है और वह उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हैं.

ii. कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सभी प्रकार से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो जाए.

regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

<u>Nomination of candidates for election:</u>

Regulation 65:

i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank.

b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.

c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

नामांकनों की जांच :

विनियम - 66 :

i. नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा. यदि चुनाव के जरिए किसी विशेष रिक्त पद को भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गयी हो तो इसे निरस्त समझा जाएगा.

ii. चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा.

iii मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को निर्वाचन/निर्वाचित समझे जाने की तारीख के अगले दिन से पद भार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा.

चुनाव विवाद :

विनियम - 67 :

i. यदि निवार्चित समझे जानेवाले अथवा निवार्चित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम के घोषित होने की तारीख के 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में वह उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है.

ii. उप विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्ही दो निदेशकों के साथ गठित समिति को संदर्भित कर सकते हैं.

iii. उप विनियमन (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि समिति यह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं था तो वह जांच आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर, परिस्थितियों के अनुसार नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो समिति को उचित लगे.

iv. इस विनियम के अनुसरण में समिति के आदेश और निदेश अंतिम होंगे.

Scrutiny of nominations:

Regulation 66:

i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 67:

i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

शेयरधारकों के मताधिकार :

विनियम 68 : मताधिकार का निर्धारण -

i. अधिनियम की धारा 3(2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेयरधारक, जो सामान्य बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तारीख पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार होगा.

ii. अधिनियम की धारा 3(2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपरोक्तानुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है अथवा जो कंपनी होने के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपरोक्त उपविनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा. व्याख्या : इस अध्याय के लिए ''कंपनी'' का तात्पर्य कोई भी कार्पोरेट निकाय है.

iii. सामान्य बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयरधारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदानः

विनियम - 69 :

i. कोई शेयरधारक, केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी होने के नाते संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) को केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्हीं शक्तियों के प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयरधारक हो. इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप में होने चाहिए और ऐसे मामलें में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है.

ii. बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकता है अथवा मत नहीं दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो.

Voting Rights of Shareholders:

Regulation 68: Determination of voting rights:

i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i) Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.

ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

प्रॉक्सी

विनियम - 70 :

i. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर उसने अथवा उसके अटॉर्नी ने लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत न किया हो अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयरधारक अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अथवा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो.

बशर्ते प्रॉक्सी का लिखत, शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.

ii. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगी हुई हो और उसकी प्रति, बैठक की नियत तारीख से **चार दिन** पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हों अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रति के रूप में अधिप्रमाणन के साथ जमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा पंजीकृत न किया गया हो.

iii. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फार्म ''बी'' में न हो.

iv. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.

v. वैकल्पिक रूप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा.

vi. प्रॉक्सी के किसी लिखत का अभिदाता उस असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित है.

vii. कोई भी ऐसा व्यक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

viii. प्रॉक्सी फॉर्म में सभी संशोधन विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए.

भारतीय रिज़र्व बैंक के ''उपयुक्त एवं समुचित'' मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत

Proxies

Regulation 70:

i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Bank.

ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form “B”

iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.

vi. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.

viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RBI’S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has

शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना बीसी क. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले ''उपयुक्त एवं समुचित'' मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हैं.

अधिसूचना की प्रमुख बातें

''उपयुक्त एवं समुचित'' स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

क. प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक ''नामांकन समिति'' का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों. निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को समिति का ''अध्यक्ष'' नामित करना चाहिए. कोरम में अध्यक्ष को मिलाकार तीन सदस्य होने जरूरी है. यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वंतत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता हैं. नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है.

ख. पद्धति एवं प्रक्रिया :

नामांकन समिति को उक्त अधिनियम धारा 9 (3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फार्मेट में (अनुबंध -1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करनेवाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए. नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं. समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए. हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रुप में निर्णय करना चाहिए तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

ग. मानदंड :

नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए : -

(i) शैक्षणिक योग्यता

(ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र

(iii) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उपरोक्त सूची उदाहरण स्वरूप है, व्यापक नहीं)

issued notification DBOD BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Educational qualification
(ii) Experience and field of expertise
(iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों /प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी. इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा.

घ. अन्य मामला :

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए. (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीडीओ. क्र. बीसी 116/08.139.001/2001- 02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश की गयी है.)

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं. यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की "उपयुक्त तथा समुचित" हैसियत का पुनरीक्षण करना चाहिए.

अंशकालिक अशासकीय निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश - भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 जिन्हें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर 2013 के अनुसार लागू किया गया.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /वित्तीय संस्थाओं आदि के निदेशक मंडल में अंशकालिक अशासकीय निदेशक (एनओडी) के नामांकन हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाने चाहिए.

सामान्य

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यावसायिक व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए.
3. सामान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कानून, मार्केटिंग, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा.
4. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए.

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR – GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 3rd September 2013

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.
3. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
4. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

शिक्षा

1. अशासकीय निदेशक (एनओडी) को कम से कम स्नातक होना चाहिए.

   किसानों, जमाकर्ताओं तथा दस्ताकारों के मामले में एसीसी के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है. (निदेशक मंडल की नामांकन समिति विवेकानुसार छूट देने हेतु अधिकृत है)

आयु

1. निदेशक की आयु, नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस संबंध में और छूट अपेक्षित नहीं है, तथापि, एसीसी के अनुमोदन से अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है तथा इसके कारणों को मंत्रालय द्वारा रिकार्ड किए जाने चाहिए.

कार्य अनुभव

1. पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

अयोग्यता

1. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो उसे किसी अन्य बैंक /वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए.
2. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति, एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
3. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6- वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता.
4. किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में 6- वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रहा है. (अशासकीय निदेशकों के लिए 6 वर्षों के लिए दो कार्यकालों का सामान्य नियम सीए श्रेणी के अंतर्गत भी निदेशक नियुक्त करने में लागू किया जाना चाहिए)

व्यावसायिक प्रतिबंध

1. एनओडी किसी बैंक /वित्तीय संस्था के निदेशक के रूप में कार्यालय छोड़ने के बाद, दो वर्षों तक उस बैंक/वित्तीय संस्था का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेगा/न उसे कोई कार्य आबंटित किया जाएगा.
2. किसी बैंक में एनओडी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वह निदेशक उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य (सांवधिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, विधिक प्रतिधारण शुल्क या वकील के रूप में एम्पैनलमेंट आदि) नहीं करेगा. भारतीय स्टेट बैंक के मामले में ऐसे

EDUCATION

1. An NOD should at least be a graduate

   Educational qualifications may be relaxed with the approval of ACC in case of farmers, depositors and artisans. (Nomination Committee of the Board is empowered to relax at their discretion)

AGE

1. The age of the Director, on the date of recommendation by Appointments Board, [should be between 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. However, the upper age limit may be relaxed only with the approval of the ACC and for reasons to be recorded by the Ministry].

WORK EXPERIENCE

1. Professionals/academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION

1. A director already on a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
2. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs.
3. No person may be re- nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. [The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also].

PROFESSIONAL RESTRICTION

1. NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
2. During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainer ship or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank.In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well.

प्रतिबंध सहयोगी बैंकों को भी कवर करेंगे. तथापि किसी अन्य बैंक /बीमा कंपनी के मामले में फर्म को ऐसा कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए बशर्तें कि अशासकीय निदेशक उस फर्म के व्यवसाय के उस भाग को जहां हितों का टकराव हो सकता है, संचालित करने से स्वयं को अलग कर ले.

3. यदि कोई व्यक्ति, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है, इसमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, किसी बैंक के निदेशक मंडल में नामांकित होने के लिए चुना जाता है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले उस बैंक के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए.

4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में उन व्यावसायिकों को नामित नहीं किया जाएगा जिनके साथ ऐसे नामांकन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका व्यावसायिक संबंध रहा है.

However, in respect of any other bank / insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non official director recluses himself/herself from handling that part of the business of the firm, where there may be a conflict of interest.

3. If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.

4. Professionals shall not be nominated on the Board of a PSB with which they have had a business relationship during the last 3 years before such nomination.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

नामांकन फार्म

क्रमांक

प्रति,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

महोदय/महोदया

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री .... बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, शुक्रवार 07 नवंबर, 2014 (अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/कट ऑफ तारीख को) प्रत्येक रु. 10/- के .... इक्विटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी... निवासी ....को मंगलवार, दिनांक 23 दिसंबर, 2014 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

1. यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
2. प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.
3. यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Chairman & Managing Director / Executive Director
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir/Madam,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated 3rd November 2014, I, ………………………………...…… a shareholder of Bank of Baroda holding ………….. equity shares of Rs. 10/- each fully paid up as on Friday, 7th November 2014 i.e., the Specified / Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ……….................……………………. son / daughter / wife of ……………………....................................…………residing at…………………………………………………………… ……………………………………………………………for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held onTuesday, 23rd December, 2014.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. **(if not dematerialized)**	
DP ID No. & Client ID No. **(If dematerialized)**	
Place	
Date	

Notes:

a) In case nomination is made by a shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती.. सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती ....
...., निवासी ....
....

एतदद्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :-

1. मैं शुक्रवार 7 नवंबर, 2014 अर्थात् विनिर्दिष्ट/निर्वाचन में भाग लेने की रिकार्ड तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 10 रुपये प्रति शेयर वाले .... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और
2. *मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा .... का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा/है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं और
3. मैं नामाकंन संख्या ....स्वीकार करता हूं/करती हूं और
4. मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/चाहती हूं.
5. मुझे, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं.
6. मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूं.
7. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है.
8. मैं किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था में निदेशक नहीं हूं तथा
9. मैं पहले भी इस बैंक के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार दो कार्यकाल या - 6 - वर्षों के लिए जो भी अधिक है, निदेशक नहीं रहा हूं/रही हूं.
10. मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी वित्तीय संस्था में किसी भी श्रेणी के तहत (सीए श्रेणी को शामिल कर) लगातार दो कार्यकाल या - 6 - वर्षों के लिए चाहे यह लगातार हो या रुककर निदेशक नहीं रहा हूं.
11. मैं निर्वाचित होने पर आगे से बैंक के साथ प्रोफेशेनल संबंध समाप्त कर दूंगा/दूंगी तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तथा आगे दो वर्षों तक प्रोफेशेनल संबंध नहीं रखूंगा/रखूंगी.
12. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता हूं.
13. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं,

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

हस्ताक्षर ....

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंसस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.

* जो लागू हो न उसे काट दें.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

DECLARATION

I,……………………………………son/daughter/wife of Shri/Smt……………..…………………………… resident of……………………
………..……
………………………hereby confirm that :

a. I am a shareholder holding …………….. equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on Friday,7th November, 2014 i.e., the Specified / Cut-Off Date for participating in the elections, and

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or ……………………………………………… (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

c. I accept the nominations numbering …………………… and

d. I am willing to contest for the election of Directors of BANK OF BARODA, and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended,relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI in this regard and

f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bankof India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of IndiaAct, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and

g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and

h. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution; and

i. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

j. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for two terms or six years, whether continuously or intermittently, and

k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

m. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

***Delete whichever is not applicable.**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकाए

बैंक का नामः बैंक ऑफ़ बड़ौदा

दिनांक________________2014 को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की घोषणा एवं वचनपत्र			
i		**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**	
	क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का पूरा नाम	
	ख	जन्म तारीख	
	ग	शैक्षणिक योग्यताएं (शैक्षणिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
		(शैक्षणिक/व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
	घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव(बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3-ए) में यथोपेक्षित) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबद्ध अपने अनुभव का उल्लेख करें)	
	ड.	स्थायी पता	
	च	वर्तमान पता	
	छ	ई-मेल पता टेलीफोन नं. (लैंडलाइन) टेलीफोन नं. (मोबाइल)	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (एक प्रति संलग्न करें) आयकर सर्कल/प्रखंड का नाम और पता, जहाँ निजी कर - विवरण दायर किये जाते हैं	
	झ	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3-ए) का संदर्भ ग्रहण करें.	
	ञ	बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित कोई अन्य सूचना	

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Affix passport size photo here

Name of the Bank: Bank of Baroda

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ___________2014			
I		**Personal details of Candidate**	
	a	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Educational Qualifications	
		(Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	d	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
	e	Permanent Address	
	f	Present Address	
	g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	h	Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970	
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

ii		**प्रत्याशी की रिश्तेदारी**	
	क	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77), जिसे कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता अधिनियम 2014) (धारा 6 एवं कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 1ए) नियम 2014 के नियम 4 के साथ पढा जाए, को देखें	
	ख	प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें 'उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(49) एवं धारा (184) को देखें) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299) (3) (ए) और धारा (300)	
	ग	प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो. प्रस्तावित और वर्तमान.	
	घ	बैंक का नाम, जिसमें वे बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य हैं अथवा रहे हैं (पदावधि का विवरण दें)	
	ड.	निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.	
	च	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां प्रत्याशी अथवा उपरोक्त II ख) और (ग) में उल्लिखित इकाइयों ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं को चुकाने में चूक की हो अथवा पूर्व में चूक की गई हो.	
iii		**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड**	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
iv		**प्रत्याशी के विरूद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो**	
	क	यदि प्रत्याशी किसी व्यावसायिक संस्था /निकाय का सदस्य है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्ध पहले दोषसिद्वि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.	
	ख	पूर्व में प्रत्याशी और /अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्वि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.	
	ग	प्रत्याशी के विरूद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्वि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	घ	क्या प्रत्याशी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
	ड.	क्या प्रत्याशी अथवा II (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी जांच के अध्यधीन रखा गया है?	
	च	क्या प्रत्याशी को कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें	

II		**Relevant Relationships of Candidate**	
	a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		**Records of professional achievements**	
	a	Professional achievements relevant	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956]	
	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	

	छ	क्या प्रत्याशी कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक, एमसीए, सिबिल जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आया है? (हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नही होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)	
v	मद क्र. i और iii के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और ठीक और उचित पाए जाने के लिए विचारणीय अन्य कोई सूचना.		

वचनपत्र

मैं श्री/श्रीमती ---सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी -- पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं.

स्थानः

दिनांकः प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नकः

नोट : 1 जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुलग्नक में समुचित संदर्भ के साथ सूचना

2 सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.

नामांकन समिति की राय/टिप्पणी

समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (*Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned*).	
V		**Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper**	

Undertaking

I ___________________________ Son/ Daughter / Wife of Shri ________________________confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.
I also undertake to execute on getting elected the deed of covenant and code of conduct required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date : Signature of Candidate

Enclosures:

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member

Place :

Date :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डीपीआईडी नं.	
ग्राहक आई.डी.नं (यदि अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ______________________ निवासी ______________________

______________ जिला ______________ राज्य ______________________

बैंक ऑफ़ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती ______________________

निवासी ______________ जिला ______________ राज्य ______________ को या उनके न होने पर

श्री/श्रीमती ______________________ निवासी ______________________ जिला

______________ राज्य ______________ को **मंगलवार, 23 दिसंबर, 2014 को प्रातः 10:00 बजे** सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ______________ माह ______________ 2014 को हस्ताक्षरित

रसीदी टिकट

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ______________

नाम : ______________________

पता : ______________________

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा :
   - क. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   - ग. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो

   प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गयी हो के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबन्धक (केवायसी एवं एएमएल विभाग), बैंक ऑफ बड़ौदा,आठवां तल, सूरज प्लाजा – I , सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात गुरुवार 18 दिसम्बर 2014 को कार्य समाप्ति के पूर्व यथा सायं 5 बजे या उससे पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा.
3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.
4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
5. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में,एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी व्यक्ति को,जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
8. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No.	
Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, ______________________________ Resident of ______________________________ in the district of ____________________ in the State of ______________________________ being a shareholder/s of BANK OF BARODA, hereby appoint Shri/Smt. ____________________ resident of ______________________________ in the district of ______________________________ in the State of ______________________________ or failing him/her, Shri/Smt.____________________ resident of ____________________ in the district of ____________________ in the State of ____________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **Tuesday, 23rd December 2014, at 10.00 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020 and at any adjournment thereof.

Signed this ____________ day of ____________ 2014.

Revenue stamp

Signature of the Proxy ______________________________

Name : ______________________________

Address : ______________________________

____

Signature of first /sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND DEPOSITING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
   a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
   b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
   c. in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara-390 005, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 18th December, 2014 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank